

लक्ष्मणेश - 210. M  
डा. कुलकर्णी साहेब

च. वि. १.

(19)

१९९१ च्या लोकसंख्येच्या आधारे निकषानुसार  
नवीन आरोग्य संस्थांना मंजूरी देण्याबाबतचे  
धोरण [बृहत आराखड्यास मान्यता].

महाराष्ट्र शासन  
सांख्यिक आरोग्य विभाग  
शासन निर्णय क्र. पी.एच.सी-१०९४/४१९९/म.प्र. १३/९५/आरोग्य-४  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.  
दिनांक : १ जानेवारी, १९९६.

महाराष्ट्र शासन  
सांख्यिक आरोग्य विभाग

शासन निर्णय क्र. पी.एच.सी-१०९४/४१९९/म.प्र. १३/९५/आरोग्य-४  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : १ जानेवारी, १९९६.

शासन निर्णय :-

महाराष्ट्र शासनाने इ. म. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य पुरविण्याचे ध्येय  
अंगिकारले असून आतापर्यंत १९८७ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर शासनाने राज्यात  
९७२५ उपकेंद्रे, १६७ प्र. आ. पथके, ६२ फिरती आरोग्य पथके, १६९५ प्र. आ. केंद्रे  
व २९५ ग्रामीण रुग्णालये [हुडीर रुग्णालयांसह] मंजूर केलेली आहेत. या संस्थापैकी  
उपकेंद्रे, प्र. आ. केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालये केंद्र शासनाने विहित केलेल्या व राज्य  
शासनाने स्वीकारलेल्या निकषानुसार मंजूर करण्यात येतात. तथापि ती मंजूर  
करतांना आरोग्य सेवा सुविधा जनतेस जास्तीतजास्त मध्यवर्ती व इतर बाह्य  
सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी मंजूर करण्याच्या दृष्टीने काही विहित निकषांच्या  
आधारावर मंजूर करून या संस्थांच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे व त्यानुसार १९९१ च्या  
लोकसंख्येच्या आधारावर निकषानुसार अतिरिक्त आरोग्य संस्था निर्माण करण्याचा  
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. तसेच अलिकडे काही स्वयंसेवी संस्थांनीही  
अशा प्रकारच्या आरोग्य संस्था शासनाने मदतीने किंवा स्वतःच्या अर्थबळावर  
स्थापण्यास सहभाग दर्शविला आहे. या संस्थांचा सहभाग निश्चित करण्यास मंजूरी  
देण्यापूर्वी मंजूर करणे आवश्यक असलेल्या आरोग्य संस्थांचा संपूर्ण आराखडा निश्चित  
करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था आरोग्य संस्था  
स्थापण्यास उत्सुक असतील त्यांना आराखड्यात मंजूर केलेल्या संस्थापैकी काही  
आरोग्य संस्था शासन व स्वयंसेवी संस्थांना आपापसात मान्य असलेल्या ठिकाणी  
स्थापण्यास परवानगी देता येणे शक्य होईल.

२. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने १९९१ च्या लोकसंख्येच्या  
आधारावर आदिवासी, विंगर आदिवासी तसेच डोंगरी क्षेत्राच्या प्रचलित निकषावर  
मंजूर करण्याच्या संस्थांच्या संख्यात्मक आराखड्यास मंजूरी दिलेली असून त्यानुसार

महाराष्ट्र शासन  
शासन निर्णय क्र. पी.एच.सी-१०९४/४१९९/म.प्र. १३/९५/आरोग्य-४  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

[क. मा. प.]

329  
9/2/96

राज्यात ९८ ग्रामीण रुग्णालय, ४१६ प्रा. आ. केंद्रे व २५३८ उपकेंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तथापि आर्थिक बाबींचा विचार करता या संस्था एकदम मंजूर करता येणे शक्य नसल्यामुळे आरोग्य विभागाला जिल्हा योजनांतर्गत येत्या काही वर्षांत उपलब्ध होणा-या निधीच्या प्रमाणात त्या मंजूर करण्यात येणार आहेत. या आरोग्य संस्थांमधील मंजूर करण्यात येणा-या ग्रामीण रुग्णालयांच्या बाबतीत ही रुग्णालये सध्या ज्या तालुक्यात मंजूर नाहीत त्या ठिकाणी मंजूर करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर प्रा. आ. केंद्रांच्या संख्येच्या संदर्भात त्या तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालयाचा अनुषंगाने त्या तालुक्यातील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी ती स्थापण्याचा विचार करण्यात येईल. तसेच यापूर्वी ज्या काही प्रा. आ. केंद्रांचे श्रेणीवर्धन करून ग्रामीण रुग्णालये मंजूर करण्यात आली आहेत, त्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेली प्रा. आ. केंद्रे इतरत्र हलविण्याच्या निरनिराळ्या स्तरावरून आलेल्या मागण्यांचा विचार करून शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, प्रा. आ. केंद्रांचे श्रेणीवर्धन करून ज्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करण्यात आले तेथील प्रा. आ. केंद्र वेगळे करून ते १९९१ च्या लोकसंख्येनुसार प्रा. आ. केंद्राचा अनुषंगाने असल्यास त्या तालुक्यात व तालुक्यांत अनुषंगाने नसल्यास त्या जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यात प्रा. आ. केंद्राचा अनुषंगाने आहे तेथे मंजूर करावे. अशा प्रकारे मंजूर करावयांचे ठरलेल्या ९८ ग्रामीण रुग्णालये ४१६ प्रा. आ. केंद्रे व २५३८ उपकेंद्रे यांचा संख्यात्मक आराखडा या सोबत प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेला आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत तसेच डोंगरी क्षेत्रात मंजूर करावयाच्या आरोग्य संस्थांची संख्याही या प्रपत्रात दर्शविलेली आहे.

३. वर नमूद केल्याप्रमाणे या आरोग्य संस्था मंजूर करतांना लक्ष देणे आवश्यक असलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या आरोग्य संस्था जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने मध्यवर्ती असे ठिकाण निश्चित करून स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वेही या निर्णयासोबत [प्रपत्र-ब] जोडण्यात आलेली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व संबंधित मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक यांनी

आवश्यक तो प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सादर करावा व जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने ठिकाणे निश्चित करून ती संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने/शिफारशीसह शासनाकडे पाठवावयाची आहेत. त्यांबरोबरच मंजूर करावयाच्या आरोग्य संस्थांचा प्राथम्यक्रमही जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने ठरविणे आवश्यक आहे.

४. वरीलप्राप्ते प्राथम्यक्रम ठरल्यानुसार संबंधित जिल्हा विकास व नियोजन मंडळा त्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद त्यांच्या वार्षिक योजनांत केल्याशिवाय या संस्था शासनाकडून मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्याबुद्देलंबंधित जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने आपापल्या जिल्ह्यात कितीव होणत्या संस्था प्राथम्याने मंजूर करावयाच्या आहेत हे निश्चित करून यानंतर वार्षिक योजनात समावेश करून आवश्यक ती तरतूदही करणे आवश्यक आहे.

५. वरीलप्राप्ते प्राथम्यक्रम व संस्थांची ठिकाणे निश्चित केल्यावर ग्रामीण रुग्णालयांसारखे काही संस्था स्वयंसेवक संस्थांकडून केंद्रशासन व राज्यशासन यांच्याकडून सिक-या अनुदानाच्या आधारावर मंजूर करण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास यापैकी ग्रामीण रुग्णालय किंवा तत्सम संस्था अशा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यास परवानगें देण्याचा विचार केला जाईल.

६. मंजूर झाल्यात यावयाच्या आरोग्य संस्थास (ग्रामीण रुग्णालये, प्रा. आ. केंद्रे व उद्रे) मंजूर करावयाच्या कर्मचा-यांच्या प्रमाणकासही मान्यता देण्यात येत असून यानुसार प्रपत्र "क" पध्दये दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारीवर्ग प्र करण्यात येईल. तसेच प्रा. आ. केंद्रात जीप व ग्रामीण रुग्णालयांना रुग्णहिका व क्ष-किरण यंत्रही मंजूर करण्यात येतील.

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

ज. मा. प्रधान

[ ज. मा. प्रधान ]

महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

संचालक, आरोग्यात, मुंबई.

महालेखापाल [लेखरीक्षा] / [लेखा अनुमेयता] मुंबई/नागपूर.

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र: पीएचसी-१०/२४/२२७/प्र. १३/९५/आ. ४  
दिनांक १ जानेवारी १९९३ च्या शासन निर्णयाचे सहाय्यत्रे.

"प्र प त्र "अ"

"१९९१ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर निकषानुसार राज्यात मंजूर करावयाच्या आरोग्य संस्थांचा जिल्हानिहाय संख्यात्मक आराखडा.  
[वृद्ध आराखडा ]

| क्र. | जिल्हा     | ग्रामीण रुग्णालय |          | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे |               |                           |         | उपकेंद्रे |        |              | एकूण |      |
|------|------------|------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------|-----------|--------|--------------|------|------|
|      |            | तालुका मुख्यालय  | इतर गावी | न.पाने आदिवासी          | मंजरकरा वयाची | स्थलांतराने मंजरकरा वयाची | एकूण    | आदिवासी   | डोंगरी | बिगर आदिवासी |      |      |
| २.   | ३.         | ४.               | ५.       | ६.                      | ७.            | ८.                        | ९.      | १०.       | ११.    | १२.          | १३.  |      |
| १.   | जिल्हा     | २[१]             | -        | २                       | २             | १                         | ५[३]    | १५[१२]    | २२     | १०           | ५    | ११४  |
| ३.   | राणड       | ४                | १        | -                       | १४            | १                         | ५[१]    | २०[१]     | -      | १४१          | १७   | १५८  |
| ३.   | रतनागिरी   | -                | -        | -                       | -             | -                         | ६       | ६         | -      | ५४           | -    | ५४   |
| ४.   | नासिक      | ४[१]             | २[१]     | ७                       | ५             | २                         | १३[६]   | २७[१३]    | ५६     | ४२           | ४०   | १३८  |
| ५.   | धुळे       | १                | ४[२]     | ६                       | ५             | १                         | ७[५]    | १९[११]    | ८६     | ५७           | ३४   | १७७  |
| ६.   | प्रतापगढ़  | ५                | -        | -                       | -             | २                         | १०[१]   | १२[१]     | -      | ३            | ७६   | ७९   |
| ७.   | अहमदनगर    | ५                | १        | १                       | ५             | २                         | ११[२]   | २६[३]     | ८      | ५८           | २०   | १५६  |
| ८.   | पुणे       | २                | ४[२]     | २                       | २६            | ५                         | ८       | ४१[२]     | २      | २४२          | ३५   | २७९  |
| ९.   | तोलोपुर    | २                | -        | -                       | -             | १२                        | ५       | १७        | -      | -            | १३१  | १३१  |
| १०.  | सातारा     | २                | ४        | -                       | २३            | ४                         | ७       | ३४        | -      | २६५          | ५४   | ३१९  |
| ११.  | कोल्हापूर  | ४                | १        | -                       | २७            | ३                         | ८       | ३८        | -      | २४२          | ४०   | २८२  |
| १२.  | सांगली     | -                | १        | -                       | -             | २                         | ५       | ७         | -      | २२           | ६७   | ८९   |
| १३.  | सिंधुदुर्ग | २                | -        | -                       | -             | -                         | १       | १         | -      | ९            | -    | ९    |
| १४.  | औरंगाबाद   | १                | १        | -                       | ४             | ५                         | ५       | १४        | -      | १८           | ५६   | ७४   |
| १५.  | वीड        | ३                | -        | -                       | ३             | ५                         | ५       | १३        | -      | १३           | ४४   | ५७   |
| १६.  | जालना      | ३                | -        | -                       | -             | ६                         | ४       | १०        | -      | -            | ५५   | ५५   |
| १७.  | परभणी      | ४                | -        | -                       | २             | ७                         | ४       | १३        | -      | १९           | १८   | ३७   |
| १८.  | उस्मानाबाद | १                | -        | -                       | -             | -                         | ५       | ५         | -      | -            | १२   | १२   |
| १९.  | हिंगणज     | -                | १        | -                       | -             | ७                         | ५       | १२        | -      | -            | ३९   | ३९   |
| २०.  | लातूर      | १                | -        | -                       | -             | १                         | ४       | ५         | -      | -            | ३३   | ३३   |
| २१.  | अकोला      | ५                | -        | -                       | -             | ४                         | ५       | ९         | -      | १            | ६    | ७    |
| २२.  | अमरावती    | २                | -        | -                       | -             | -                         | ६       | ६         | -      | -            | ३५   | ३५   |
| २३.  | यवतमाळ     | ४                | -        | ४                       | -             | ३                         | ६[२]    | १३[६]     | ५०     | १            | १६   | ६७   |
| २४.  | बुलढाणा    | ७                | -        | -                       | -             | ४                         | ४       | ८         | -      | १            | ३६   | ३७   |
| २५.  | नागपूर     | ३                | -        | १                       | -             | ६                         | ४[२]    | ११[३]     | ४      | -            | २०   | २४   |
| २६.  | वर्धा      | ३                | -        | -                       | -             | १                         | ४       | ५         | -      | -            | १    | १    |
| २७.  | शंभार      | ३                | -        | १                       | -             | ४                         | ८[४]    | १३[५]     | १२     | -            | १२   | २४   |
| २८.  | पंढरपूर    | २[२]             | -        | -                       | -             | -                         | ७[१]    | ७[१]      | ४१     | -            | १    | ४२   |
| २९.  | गडचिरोली   | ३[३]             | -        | -                       | -             | -                         | ९[९]    | ९[९]      | ९      | -            | -    | ९    |
| एकूण |            | ७८[७]            | २०[५]    | ३१                      | ११४           | २५                        | १७६[३५] | ४१६[६६]   | ३७     | ११९८         | २७३  | २५२८ |

टिप: बीसरातील आकडे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आहेत.